

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर अदालत (जायल)

पीठासीन अधिकारी—सुरेन्द्र प्रसाद आर.ए.एस

आदेश

मु.स. ०६ / २०१८

आदेश दिनांक ०९ .०२.२०१८

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती का प्रार्थना पत्र अधीन धारा १३६ एल.आर.एक्ट १९५६ का प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत कराये गये दस्तावेज के आधार व तहसीलदार जायल द्वारा की गई जांच रिपोर्ट मय अभिशंषा के आधार पर राजस्थान भूराजस्व अधिनियम १९५६ की धारा १३६ के अनुसरण में ग्राम कठौती तहसील जायल जिला नागौर की जमाबंदी खाता सं. १०५ संवत् २०६९-२०७२ में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिए जाते हैं :-

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
१	कठौती	१०५	गणपतलाल पुत्र लखुराम	गणपतराम पुत्र लखुराम



(सुरेन्द्र प्रसाद)

एसडीएम एवं पदेन सहायक  
कलक्टर, जायल

क्रमांक : २०१८/२५-२६

दिनांक : ०९-०२-१८

प्रतिलिपि:

१. तहसीलदार जायल, को भेजकर आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाएँ।
२. प्रार्थी गणपतराम पुत्र लखुराम निवासी कठौती को सूचनार्थ।
३. रक्षित पत्रावली।



पीठासीन अधिकारी  
एसडीएम एवं पदेन सहायक  
कलक्टर, जायल

क्रमांक

पटवारी हलका ..... को भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश के राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट पेश करे।

दिनांक -